

18.3.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रूप। अध्याधीन  
3,14 एवं 37 से 66 तक की ओर से अधि-  
उपाधीन। शेष की तारीख प्रथम तारीख वापस  
प्राप्त। शेष अध्याधीन को पुनः शि. नोटिस पेश  
होने पर जारी हो। पत्रा. दि. 7-4-25 को पेश हो।

अतिरिक्त, जिला कलेक्टर  
(तृतीय) जयपुर

7.4.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रूप।  
अध्याधीन सं. 3,14 एवं 37 से 66 तक की ओर  
से अधि-उपा. अवकाश हेतु तत्पश्चात् शेष  
अध्याधीन की शि. नोटिस पेश होने पर  
जारी हो। पत्रा. दि. 16-4-25 को पेश हो।

अतिरिक्त, जिला कलेक्टर  
(तृतीय) जयपुर

16-4-25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता को कारखाना  
आवाज दिलवाई गई बावजूद प्रार्थी की ओर से  
कोई उपस्थित नहीं पिछली दो तारीख पेशी से  
शेष अध्याधीन के शि. नोटिस पेश कहे हेतु  
सुप्रीम क्रिमा जमाना परन्तु तलकी नोटिस पेश  
नहीं किए जा रहे हैं इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी  
प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं  
अतः इस स्थिति में प्रार्थी का प्रयत्न पत्र प्रक्रम  
राजरी अदम पेशी में अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया  
संहिता खसिज किया जाता है पत्रावली का  
तकमील तारीख दायित्व दफ्तर हो।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर